



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012



पत्र सं०- 4582

/ /
व्यवसायिक भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

दिनांक- 28/12/23

सेवा में,

M/s Ovearth Pvt. Ltd,
Ground Floor, H-73,
Sector-63, Noida,
Gautam Budh Nagar 201301
Mo No 9625361593

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.10.2023 को हुई ई-नीलामी में आपके द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-2 के विरुद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू०-151207.00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरुद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

- | | | |
|-------|---|-------------------|
| 1. | व्यवसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 1350.00 वर्गमी०। | |
| 2.(अ) | उच्चतम बोली रू०-151207.00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य | रू०- 204129450.00 |
| (ब) | कॉर्नर शुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत | रू०- 0.00 |
| (स) | फ्री-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ + ब) | रू०- 0.00 |

कुल मूल्य

रू०- 204129450.00

- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू०-40825890.00 जिसमें टोकन धनराशि रू०-17787195.00 के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31.03.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20412945.00 जोकि दिनांक 30.06.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20412945.00 जोकि दिनांक 30.09.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20412945.00 जोकि दिनांक 31.12.2024 तक जमा की जानी है।

रू०-23038695.00

रू०-20412945.00

रू०-20412945.00

रू०-20412945.00

7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0-102064725.00 की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्ते देनी होंगी। किश्त की धनराशि रु0-13544000.00 होगी जोकि दिनांक 01.01.2025 से देय होगी। शेष किश्तें इसी क्रम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगा।
8. अ - विक्रय विलेख निष्पादन शुल्क रु0- 350.00
 ब - विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत रु0- 510324.00
 स जी0एस0टी की धनराशि रु0- 91921.00
 दिनांक 31.12.2024 तक देय योग रु0- 602595.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि upavp.in की वेबसाइट पर जाकर अपना स्वयं का लागिन बनाते हेतु ऑनलाईन भुगतान करना होगा। किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा।

सम्पत्ति का मूल्य रु0-50.00 लाख से अधिक होने की दशा में जमा की जाने वाली एकमुश्त/किश्त की धनराशि में से 01 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती कर क्रेता द्वारा परिषद के पेन नम्बर-AAAJU0103A में जमा कर रसीदे कार्यालय में समयान्तर्गत जमा करेगा। यदि आवंटी द्वारा टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो देय तिथि से जमा की तिथि तक आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों के अनुसार आगणित कर कुल देय धनराशि परिषद के उक्त पेन नम्बर पर जमा कराया जायेगा। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।
- ब. व्यावसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- स. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।
- द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रु0-100.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रु0-100.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बन्धी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।
- य. केन्द्र सरकार/उ0प्र0 सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य कर क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
- र. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
- ल. समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय
 27/12/23

सम्पत्ति प्रबन्धक
 कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत या शासनादेश के अनुसार एवं रु0-100 का एक नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।



पत्र सं०- 4583

/ /
व्यवसायिक भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

दिनांक- 28/12/23

सेवा में,

M/s Jindalsons Infratex Pvt. Ltd,
Plot Number 7C/Comm-09
Siddharth Vihar, Ghaziabad 201301
Mo No 9999129995

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-03 की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.10.2023 को हुई ई-नीलामी में आपके द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-3 के विरुद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू०-150457.00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरुद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

1.	व्यवसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 1333.63 वर्गमी०।	
2.(अ)	उच्चतम बोली रू०-150457.00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य	रू०-200653970.00
(ब)	कॉर्नर शुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत	रू०- 0.00
(स)	फ्री-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ + ब)	रू०- 0.00
कुल मूल्य		रू०-200653970.00
3.	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू०-40130794.00 जिसमें टोकन धनराशि रू०-17571509.00 के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31.03.2024 तक जमा की जानी है।	रू०-22559285.00
4.	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20065397.00 जोकि दिनांक 30.06.2024 तक जमा की जानी है।	रू०-20065397.00
5.	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20065397.00 जोकि दिनांक 30.09.2024 तक जमा की जानी है।	रू०-20065397.00
6.	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-20065397.00 जोकि दिनांक 31.12.2024 तक जमा की जानी है।	रू०-20065397.00

7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0-100326985.00 की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्ते देनी होंगी। किश्त की धनराशि रु0-13313391.00 होगी जोकि दिनांक 01.01.2025 से देय होगी। शेष किश्तें इसी क्रम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगी।
8. अ - विक्रय विलेख निष्पादन शुल्क रु0- 350.00
 ब - विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत रु0- 501635.00
 स जी0एस0टी की धनराशि रु0- 90357.00
 दिनांक 31.12.2024 तक देय योग रु0- 592342.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि upavp.in की वेबसाईट पर जाकर अपना स्वयं का लागिन बनाते हेतु ऑनलाईन भुगतान करना होगा। किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा।

सम्पत्ति का मूल्य रु0-50.00 लाख से अधिक होने की दशा में जमा की जाने वाली एकमुश्त/किश्त की धनराशि में से 01 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती कर क्रेता द्वारा परिषद के पेन नम्बर-AAJU0103A में जमा कर रसीद कार्यालय में समयान्तर्गत जमा करेगा। यदि आवंटी द्वारा टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो देय तिथि से जमा की तिथि तक आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों के अनुसार आगणित कर कुल देय धनराशि परिषद के उक्त पेन नम्बर पर जमा कराया जायेगा। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।
- ब. व्यावसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- स. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।
- द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रु0-100.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रु0-100.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बंधी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।
- य. केन्द्र सरकार/उ0प्र0 सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य कर क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
- र. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
- ल. समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय
 27/12/23

सम्पत्ति प्रबन्धक
 कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

- कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत या शासनादेश के अनुसार एवं रु0-100 का एक नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
- राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012



पत्र सं०- 4584

/ /
व्यवसायिक भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

दिनांक- 28/12/23

सेवा में,

M/s Jindalsons Infratex Pvt. Ltd,
Plot Number 7C/Comm-09
Siddharth Vihar, Ghaziabad 201301
Mo No 9999129995

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-04 की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.10.2023 को हुई ई-नीलामी में आपके द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-4 के विरुद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू०-150257.00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरुद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

- | | | |
|-------|---|-------------------|
| 1. | व्यवसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 1317.25 वर्गमी०। | |
| 2.(अ) | उच्चतम बोली रू०-150257.00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य | रू०- 197926033.00 |
| (ब) | कॉर्नर शुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत | रू०- 0.00 |
| (स) | फी-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ + ब) | रू०- 0.00 |

कुल मूल्य

रू०- 197926033.00

- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू०-39585207.00 जिसमें टोकन धनराशि रू०-17355691.00 के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31.03.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-19792603.00 जोकि दिनांक 30.06.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-19792603.00 जोकि दिनांक 30.09.2024 तक जमा की जानी है।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू०-19792603.00 जोकि दिनांक 31.12.2024 तक जमा की जानी है।

रू०-22229516.00

रू०-19792603.00

रू०-19792603.00

रू०-19792603.00

(EMO-623)

7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0-98963017.00 की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्ते देनी होंगी। किश्त की धनराशि रू0-13132392.00 होगी जोकि दिनांक 01.01.2025 से देय होगी। शेष किश्तें इसी क्रम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगा।
8. अ - विक्रय विलेख निष्पादन शुल्क रू0- 350.00
 ब - विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत रू0- 494815.00
 स जी0एस0टी की धनराशि रू0- 89130.00
 दिनांक 31.12.2024 तक देय योग रू0- 577095.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि upavp.in की वेबसाईट पर जाकर अपना स्वयं का लागिन बनाते हेतु ऑनलाईन भुगतान करना होगा। किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर (11+2 =13) प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा।

सम्पत्ति का मूल्य रू0-50.00 लाख से अधिक होने की दशा में जमा की जाने वाली एकमुश्त/किश्त की धनराशि में से 01 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती कर क्रेता द्वारा परिषद के पेन नम्बर-AAAJU0103A में जमा कर रसीदे कार्यालय में समयान्तर्गत जमा करेगा। यदि आवंटी द्वारा टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो देय तिथि से जमा की तिथि तक आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों के अनुसार आगणित कर कुल देय धनराशि परिषद के उक्त पेन नम्बर पर जमा कराया जायेगा। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।
- ब. व्यावसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- स. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।
- द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रू0-100.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0-100.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बंधी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।
- य. केन्द्र सरकार/उ0प्र0 सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य कर क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
- र. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
- ल. समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय
 27/12/23

सम्पत्ति प्रबन्धक
 कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत या शासनादेश के अनुसार एवं रू0-100 का एक नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।